कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मीरजापुर।

सार्वजनिक नीलामी की सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर के न्यायालय परिसर स्थित 02 अदद सूखे आम के पेड़ एवं जजेज कालोनी स्थित 01 अदद सूखा आम के पेड़ की नीलामी सूचना जिसका विवरण निम्नवत् है–

Sr.N0.	Item name	Calculation			
		No	Circumference	Diameter	Minimum Value
1	आम का सूखा पेड़ स्थित नजारत अनुभाग के पूरब	01 अदद	227 cm	70–80 cm	23,905/–रू0
2	आम का सूखा पेड़ स्थित स्थायी लोक अदालत के सामने	01 अदद	150 cm	10–20 cm	232/–रू0
3	आम का सूखा पेड़ स्थित जजेज कालोनी आवास सं0 जे–03 के बाउन्ड्री में	01 अदद	185 cm	50–60 cm	13,790/–रू0
			योग–		37,927

उपरोक्त सूखे आम के पेड़ो की नीलामी दिनांक 23.04.2026 को जनपद न्यायालय, मीरजापुर के मीटिंग हॉल में अपराह्न 04.00 बजे सम्पन्न की जायेगी। उक्त सूखे आम के पेड़ो का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर से सम्पर्क करके किया जा सकता है।

नीलामी निम्न शर्तों के अधीन होगी–

1. नीलामी में बोली बोलने से पूर्व संबंधित वृक्षो का भली–भांति निरीक्षण कर लें, बाद में कोई प्रत्यावेदन मान्य नही होगा।
2. प्रत्येक बोली दाता को केन्द्रीय नाजिर के यहां दिनांक 22.04.2026 को सायं 05 बजे तक मु0 10,000/–रुपये की धरोहर धनराशि, प्रार्थना पत्र एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
3. प्रभारी वनाधिकारी वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा स्वीकृत सर्वे रिपोर्ट से कम की बोली स्वीकार्य नही होगी।
4. बिना कारण बताये बोली स्वीकृत करना अथवा अस्वीकृत करना तथा नीलामी रद्द करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
5. उच्चतम बोली की बिड अनुमोदित किये जाने के पश्चात बोली का सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा करना होगा एवं शेष बोली बोलने वालो की धरोहर धनराशि अविलम्ब वापस की जायेगी।
6. अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में बोली स्वीकृत होने के पश्चात सर्वोत्तम बोली बोलने वाले क्रेता को वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 एवं 1978 के प्राविधानों के अन्तर्गत नीलामी के बाद वन विभाग से वृक्षों के पातन शुल्क एवं प्रशासनिक शुल्क प्रति वृक्ष मु0 150/–रुपये जमा की रसीद की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
7. उच्चतम बोली स्वीकार किये जाने के उपरान्त धरोहर धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
8. यदि अधिकतम बोलीदाता द्वारा किसी अन्य वृक्ष का पातन किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
9. नीलामी विजेता को पेड़ो की कटान व उठान दिनांक 26.04.2026 तक सुनिश्चित करना होगा।
10. वृक्ष काटते समय उसके आस–पास के भवनों/बाउण्ड्री वॉल, बिजली के पोल, तार व अन्य किसी प्रकार की यदि कोई क्षति होती है तो उसकी मरम्मत/निर्माण बोलीदाता को स्वयं करवानी होगी जिस हेतु उसे कोई भी भुगतान संस्था द्वारा नहीं किया जायेगा।

दिनांकः– 17.04.2026

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर) 17/04/26
नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट),
जनपद न्यायालय,मीरजापुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनपद न्यायालय, मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. जिलाधिकारी, मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका परिषद, मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. सिस्टम अधिकारी, जनपद न्यायालय, मीरजापुर निविदा की सूचना को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा जनपद न्यायालय, मीरजापुर के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को सागरत समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर) 17/04/26
नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट),
जनपद न्यायालय,मीरजापुर।